


12-6-19

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी एवं  
 वादी वकिल अनुपस्थित हैं। पत्रावली में  
 वादी एवं वादी वकिल को तीन बार आज  
 लगावाई गई। फिर भी उपस्थित नहीं हुए।  
 पत्रावली में आदेश 9 दिनांक 3 के तहत  
 अफम हाजरी अफम पैरवी में वाद खारिज  
 किया जाता है. निवेदन खुल न्यायालय में  
 सुनाया गया। पत्रावली के तहत सुमादी  
 दर्ज नम्बर से काम होकर प्राथमिक प्रपत्र ही

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 खरवाडा जि. उदयपुर